

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर  
पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :3/2022

वादीगण-

1. दियालराम लोमरोड पुत्र हरीराम जाति जाट, निवासी-तंवरा, तहसील-जायल।

प्रतिवादीगण -

बनाम

1. हरीराम पुत्र भंवरलाल
2. मनफुल पुत्र हरीराम
3. शोभा देवी पुत्री हरीराम  
जातियान-जाट निवासीगण-तंवरा, तहसील जायल (नागौर)
4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 22/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा तंवराम तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1100/384 रकबा 4.0954 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1103/297 रकबा 1.9263 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1105/420 रकबा 0.1619 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खेताय जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है जो पुस्तैनी बडेर की भूमि होने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का हक अधिकार रहता रहा है। वादी का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने से व जन्म से हक अधिकार होने पर भी खातेदारी भूमि में नाम दर्ज नहीं होने तथा राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 10.05.2022 को उपस्थित न्यायालय ईकबाली जबाब एवं राजीनामा पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम

22/6/2022  
राजस्व वाद संख्या :3/2022

ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। ईकबाली जबाब एवं राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन तामिल होकर पत्रावली संलग्न है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब एवं राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह दियालराम लोमरोड पुत्र हरीराम के पेश हुवे। जमाबन्दी ग्राम तंवरा तहसील-जायल सम्बत् 2073-2076 खाता संख्या 594 प्रदर्श-1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब एवं राजीनामों के साथ साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफिक ईकबाली जबाब व राजीनामा एवं साक्ष्य शपथ पत्र में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 ने हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब एवं राजीनामा व आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब एवं राजीनामा सहमति से वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबालिया जबाब एवं राजीनामा दिनांक 10.05.2022 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाडा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जबाब एवं साक्ष्य शपथ पत्र पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबन्दी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबालिया जबाब एवं राजीनामा दिनांक 10.05.2022 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार

*for*

खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।


हमारी राय में मौजा तंवरा के वादग्रस्त खेतों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 अपने-अपने हिस्से की नियमानुसार सहखातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ करवा सकते हैं, चूंकि वादग्रस्त खेतों में पक्षकारान द्वारा मौजा तंवरा के खेत खसरा नं. 1100/384 रकबा 4.0954 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1103/297 रकबा 1.9263 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1105/420 रकबा 0.1619 हैक्टेयर की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 ने सहखातेदारी की इस्तदुआ चाही है। अतः मौजा तंवरा के खाता संख्या 594 के खेत खसरा नं. 1100/384 रकबा 4.0954 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1103/297 रकबा 1.9263 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1105/420 रकबा 0.1619 हैक्टेयर की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 को प्रतिवादी संख्या 1 हरीराम पुत्र भंवरलाल के साथ सहखातेदार घोषित कर हम वादीगण का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

- : : आदेश : : -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. यह है कि मौजा तंवरा के खेत खसरा नं. 1100/384 रकबा 4.0954 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1103/297 रकबा 1.9263 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1105/420 रकबा 0.1619 हैक्टेयर में वादी दियालराम लोमरोड, प्रतिवादी संख्या 2 मनफुल, प्रतिवादी संख्या 3 शोभा देवी को प्रतिवादी संख्या 1 हरीराम पुत्र भंवरलाल के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।
2. विवादग्रस्त खसरा में से कोई खसरा बैंक के रहन हो तो संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 27/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

  
27/6/2022  
(रवीन्द्र कुमार)  
सहायक क्लर्क एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई  
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,  
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :3/2022

वादीगण-

1. दियालराम लोमरोड़ पुत्र हरीराम जाति जाट, निवासी-तंवरा, तहसील-जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. हरीराम पुत्र भंवरलाल
2. मनफुल पुत्र हरीराम
3. शोभा देवी पुत्री हरीराम  
जतियान-जाट निवासीगण-तंवरा, तहसील जायल (नागौर)
4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।


उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. यह है कि मौजा तंवरा के खेत खसरा नं. 1100/384 रकबा 4.0954 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1103/297 रकबा 1.9263 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1105/420 रकबा 0.1619 हैक्टेयर में वादी दियालराम लोमरोड़, प्रतिवादी संख्या 2 मनफुल, प्रतिवादी संख्या 3 शोभा देवी को प्रतिवादी संख्या 1 हरीराम पुत्र भंवरलाल के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।
2. विवादग्रस्त खसरा में से कोई खसरा बैंक के रहन हो तो संबंधित बैंक को सूचित हो।



for  
23/6/2022  
(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल-(नागौर)

तीज - मुबलिग - बाबत् - खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह -  
सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। ववक्त मेरे  
दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलवाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये  
दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

27/6/2022  
(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल (नागौर)